न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 137 / 2017	11–09–2017	11–10–2018

1–नीति यादव पत्नि स्व0 श्री मातादीन यादव जाति यादव उम्र 42 साल निवासी मौहल्ला ठाकरवाला कुंआ नई बस्ती, वार्ड नम्बर 20 मौहल्ला अखैपुरा तहसील व जिला अलवर राज0

अपीलान्टस

बनाम

1–बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर जिला अलवर राज0
2–निरू खरेरा पत्नि श्री चंदगीराम जाति धानका निवासी कोटपुतली तहसील कोटपुतली जिला अलवर राज0
3–निर्मला शर्मा पत्नि श्री पवन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ठाकरवाला कुआं मौहल्ला अखैपुरा तहसील व जिला अलवर
4–सरला पत्नि स्व0 श्री लोकेश कुमार कश्यप जाति कश्यप निवासी मौहल्ला नवाबपुरा तहसील व जिला अवलर राज0
5–सुमन पत्नि स्व0 श्री नरेश जाति राजपूत निवासी ठाकरवाला कुंआ, मौहल्ला अखैपुरा तहसील व जिला अलवर राज0
6–निशु पत्नि नामालुम जाति सिक्ख निवासी नानगी का घेर, मौहल्ला ब्रहमचारी, तहसील व जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्टान्

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.05.2017
बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर

––:: निर्णय ::––

अपीलान्टा ने यह अपील रैस्पॉडेन्ट नम्बर 2 व रैस्पॉडेन्ट नम्बर 4 का गलत तरीके से चयन होने बाबत तथा अपीलान्टा का चयन नही करने बाबत पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्टा ने निवेदन किया है, कि अपीलान्टा व रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 में आगंनबाडी कार्यकर्ता के लिए वार्ड नम्बर 20 से आवेदन किया था। जिसका रैस्पॉस्डेन्ट संख्या 1 ने गलत प्रकार से रैस्पॉस्डेन्ट सख्या 2 नीरू खरेरा पत्नि श्री चंदगीराम धानका निवासी कोटपुतली जिला जयपुर का रैस्पॉस्डेन्ट संख्या 4 सरला पत्नि स्व0 श्री लोकश कुमार कश्यप निवासी मौहल्ला नवाबपुरा तहसील व जिला अलवर का चयन किया गया है। रैस्पॉस्डेन्ट संख्या 2 नीरू खरेरा पत्नि चंदगीराम धानका निवासी कोटपुतली जिला जयपुर की निवासी है, जिसकी शादी हो चुकी है तथा शादी उपरान्त वह कोटपुतली में अपने पति के साथ निवास करती है। जिसकी कोई जांच रैस्पॉस्डेन्ट संख्या 1 द्वारा नही की गई है। बगैर किसी जांच के रैस्पॉस्डेन्ट संख्या 2 नीरू खरेरा का आंगनबाडी कार्यकर्ता के लिए चयन कर दिया गया जा विधि विरूद्ध है। रैस्पॉस्डेन्ट संख्या 2 के पिता का नाम बाबूलाल है जो वार्ड नम्बर 20 के निवासी है किन्तु रैस्पॉस्डेन्ट संख्या 2 नीरू खरेरा की शादी 10–11 वर्ष पूर्व कोटपुतली में हो गई तथा वह अपने पति के साथ कोटपुतली में रहती है। रैस्पॉस्डेन्टे संख्या 2 नीरू खरैरा का नाम पिता के राशन कार्ड में नही है तथा वह वार्ड नम्बर 20 में रहती भी नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय रैस्पॉस्डेन्ट संख्या 1 बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर दिनांक 10.05.2017 को निरस्त फरमाया जाकर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का चयन पुनः विधि पूर्वक किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रैस्पॉडेन्ट नं0 1 बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर द्वारा अपील के संबंध में निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्रीमती नीति यादव द्वारा वार्ड संख्या 20 में आंगनबाडी केन्द्र पर गलत तरीके से चयन बाबत अपील की है। अपीलार्थी द्वारा वार्ड संख्या 20 के आंगनबाडी केन्द्र बागर का बास के कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन किया गया था विभागीय परिपत्र दिनांक 09.11.2016 के अनुसार आवेदक महिला संबंधित वार्ड की निवासी होनी चाहिए अपीलार्थी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजो (भामाशाह कार्ड) से स्पस्ट है की अपीलार्थी वार्ड नम्बर 23 की निवासी है। वार्ड नम्बर 20 की निवासी नही होने के कारण अपीलार्थी आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन की पात्र नही थी। अपीलार्थी द्वारा वार्ड नम्बर 20 के आंगनबाडी केन्द्र नानगी का घेर के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया था। उपखण्ड अधिकारी अलवर की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2017 को आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों पर चयन समिति की बैठक आयोजित की गई चयन समिति द्वारा श्रीमती नीरू खरेरा पत्नि श्री चंदगीराम का चयन आंगनबाडी केन्द्र नानगी का घेर (वार्ड संख्या 20) पर रिक्त कार्यकर्ता के पद पर प्रथम वरियता पर किया गया एंव आंगनबाडी केन्द्र बागर का बास (वार्ड संख्या 20) पर रिक्त कार्यकर्ता के पर पर प्रथम वरियता पर श्रीमति सरला देवी पत्नि स्व0 श्री लोकश कुमार कश्यप का चयन किया गया। श्रीमति नीरू खरेरा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एंव सेक्टर महिला पर्यवेक्षक द्वारा पते पर जाकर की गई जांच से स्पष्ट है कि श्रीमति नीरू खरेरा पत्नि चंदगीराम वार्ड संख्या 20 की निवासी है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टा वार्ड न0 20 की निवासी है। क्योंकि रैस्पॉडेन्ट नम्बर 1 द्वारा मात्र भामाशाह कार्ड का सहारा लेकर वार्ड नम्बर 23 अंकित किया है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड व वार्ड पार्षद की रिर्पोट अनुसार अपीलांन्टा वार्ड नम्बर 20 की निवासी है। चयन सूची बागर का बास से स्पष्ट है कि क्रम संख्या 2, 6, 7 पर भी आवेदन कर्ता अन्य वार्ड के निवासी थे। लेकिन विशेष विवरण के कॉलम में कुछ नही लिखा गया, लेकिन क्रम संख्या 11 पर अंकित अपीलार्थी नीति यादव जो वार्ड नम्बर 20 की ही निवासी थी को कटिंग कर वार्ड नम्बर 23 किया गया व विशेष विवरण में भामाशाह कार्ड का उल्लेख किया गया। अपीलान्टा के अन्य दस्तावेजात जो वार्ड नम्बर 20 के थे का अवलोकन नही किया। अपीलार्थी का ओ0बी0सी0 का प्रमाण पत्र संलग्न होने पर भी जाति सामान्य लिखी गई है। बागर का बास केन्द्र पर चयन की गई कार्यकर्ता की जन्मतिथी 05.04.1982 है तथा अपीलार्थी की जन्मतिथी 04.05.1973 है। विभागीय नियमानुसार समान अंक होने पर अधिकतम आयु वाली महिला को वरियता सूची में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। लेकिन चयन करते समय वार्ड का हवाला देते हुए अपीलार्थी को आवेदन योग्य ही नही माना गया, जो गलत है। ऐसा प्रतित होता है कि उक्त समस्त कार्यवाही जानबूझकर की गई। इसी प्रकार आंगनबाडी केन्द्र नानगी का घेर में आवेदन कर्ता नीरू खरेरा का चयन किया गया है। नीरू खरेरा द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त कागजात विवाह पूर्व के संलग्न किये गये है। मात्र राशन कार्ड में उनके दो पुत्र दिखाये गये है। जबकी उक्त राशन कार्ड में पति का नाम अंकित नही है। यदि वह शादीशुदा है तो पति का नाम अंकित होना चाहिए और यदि विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा है तो चयन सूची के उक्त कॉलम में उल्लेख क्यों नही किया गया। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि नीरू खरेरा का विवाह 10–11 वर्ष पूर्व कोटपुतली (जयपुर) में हुआ है यदि यह सही है तो नियमानुसार वह यहां की निवासी नही रही है। उक्त संबंध मे भी पूर्ण जांच नही की गई है। उक्त दोनो केन्द्रो पर की गई नियुक्तियां गलत है तथा कुटरचित तरीके से की गई है।

अतः बाल विकास परियोजना अधिकारी, अलवर को निदेर्शित किया जाता है। कि प्रकरण को पुनः चयन कमेटी के समक्ष रखकर समस्त आवेदन कर्ताओं की पूर्ण जांच कर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)